

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 19 अगस्त, 2008/श्रावण 28, 1930 (शक)

संख्या- 269

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, पुलिस, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री ओ.पी.बब्बर एवं श्री हरशरण सिंह बल्ली को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अन्तर्गत तिलक नगर क्षेत्र से 13.8.2008 को पूर्वाह्न 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिलक नगर से उपरोक्त तिथि को उसी समय रिहा कर दिया गया।

दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डॉ.हर्षवर्धन, प्रो.जगदीश मुखी, श्री हरशरण सिंह बल्ली, श्री ओ.पी.बब्बर एवं श्री कुलवन्त राणा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अन्तर्गत विकास पुरी से 13.8.2008 को अपराह्न 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी स्थान से उसी तिथि को अप. 1.20 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 19th August, 2008/ 28 Sarvana 1930(Saka)

No.269

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, West Distt., Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri O.P. Babber and Shri H.S. Balli Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Tilak Nagar at 11.40A.M on 13.8.2008. They were released at same time from the Tilak Nagar on aforesaid date.

Dr. Harsh Vardhan , Prof. Jagdish Mukhi Shri H. S. Balli, Shri O.P. Babber and Shri Kulwant Rana, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Vikas Puri at 12.50 P.M. on 13.8.2008.

They were released at 1.20P.M. from the same place on same date.

Siddharath Rao
Secretary